तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-8-25	**सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड** अधिकारी **लूणी** जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 86/2023 (2023/291) अनवान उदाराम बनाम मोहनसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 564/3 रकबा 4.0549 हेक्टर वाके ग्राम कडुम्बा नाडा तहसील झंवर में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। प्रार्थी की उपरुक्त खातेदारी की उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 550 एवं 349 की कृषि भूमि आई हुई है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि है। जो खसरा नम्बर 550/2 की भूमि पूर्व मे रास्ते के रूप मे दर्ज थी परन्तु गलत एव गैर कानूनी रूप से खसरा नम्बर 550/2 की भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज कर दिया तथा मौके पर कब्जा कर लिया है। उपरोक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा मे खसरा नम्बर 349/4 आम रास्ता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर खसरा नम्बर 349/4 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 550/2 एवं 349 मे से होकर जाता रहा है। जो भूमि अप्रार्थीगण के खाते मे दर्ज है। जिसको दर्शित करते हुए एक नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है। जो इस प्रार्थना पत्र का एक भाग समझा जावेगा। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के लिए कोई भी रास्ता या वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी की भूमि के लिए नजरी नक्शे मे वर्णित रास्ता ही निकटतम एव लघुतम रास्ता पड़ता है। रास्ते की भूमि के बदले नियमानुसार प्रतिकर अदा करने को तैयार है। तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को नजरी नक्शे के अनुसार 30 फुट रास्ता दिये जाने बाबत आग्रह किया तो वे शुरू मे तो देने को राजी हो गये परन्तु अब कोई स्पष्ट जबाब नही दे रहे है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 550/2 एवं 349 में से 30 फुट रास्ता नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने व रास्ता मौके पर कायम किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार झंवर की मौका रिपोर्ट दिनांक 02.12.2024 में बताया कि ग्राम कडुम्बानाडा के खसरा नम्बर 564/3 व 564/4 की कृषि आराजी प्रार्थी उदाराम की सहखातेदारी भूमि है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

कृषि भूमि तक कटाण रास्ता चाहा गया है। राजस्व रेकर्ड वर्तमान जमाबन्दी की नकल व नक्शा की प्रतियां प्राप्त करने व मौका मुआयना करने पर पाया गया कि उक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि का मौके पर कब्जा काश्त की भूमि राजस्व नक्शे में दर्शित भूमि से पूर्णतया भिन्नता रखता है। मौके पर कब्जा काश्त की आराजी का वर्तमान नक्शे से मिलान करने पर पाया गया कि उक्त भूमि तरमीम पूर्णतया अशुद्व अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती के प्रकरण के तथ्य को पूर्णतया छुपाकर धारा 251 ए के तहत रास्ता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना पाया गया जो विधि संगत नहीं है। अतः खसरा नम्बर 564 के समस्त बट्टा नम्बर की तरमीम दुरूस्ती के पश्चात उक्त रास्ता के प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव है। प्रार्थी उदाराम को उक्त विधिक त्रुटि से अवगत कराया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार झवंर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी